



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2016/चैत्र 15, 1938

No. 122]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2016/CHAITRA 15, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2016

फा. सं. 1-61/एफएसएसएआई/टीआर.बिजनेस/आरईजी/2015.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (बैठकों में करबार का संव्यवहार) विनियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, जिसे उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित करता है और उसके द्वारा जानकारी दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियम, उस तारीख से, जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और ओषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in) पर भेजे जा सकेंगे;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर ऐसे विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

## प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010 में,-

(क) विनियम 1 के उप विनियम (1) में "2010" अंकों के स्थान पर "2011" अंक रखें।

(ख) विनियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :-

"16. व्ययों की प्रतिपूर्ति:- खाद्य प्राधिकरण के सदस्य, पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक दिन के लिए चार हजार रुपए की बैठक फीस या उसके भाग का संदाय करेगा और वास्तविक यात्रा तथा निर्वाह व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा।"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असल./7/16]

**टिप्पणः** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 1-61/एफएसएसआई/2009-डीएफव्यूसी, तारीख 4 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**(Food Safety and Standards Authority of India)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2016

**F. No. 1-61/FSSAI/Tr. Business/Reg/2015.**—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its meetings) Regulations, 2010, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (1) of Section 17 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or may be sent at [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in);

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified will be considered by the Food Authority.

**Draft regulations**

**1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called “The Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its Meetings) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its Meetings) Regulations, 2010,-

(a) In regulation 1, in sub-regulation (1), for the figure “2010” the figure “2011” shall be substituted.

(b) For regulation 16, the following shall be substituted, namely:—

**“16. Reimbursement of expenses:—**The Members of the Food Authority, other than *ex-officio* members, shall be paid a sitting fee of rupees four thousand for each day or part thereof for attending each meeting and the reimbursement of actual travel and subsistence expenses.”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./7/16]

**Note:** The principle regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 1-61/FSSA/2009-DFQC, dated 4.3.2011.